**निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या 21 वर्ष 2020-21**

यह निरीक्षण प्रतिवेदन **अधिशासी अभियन्ता, अनुरक्षण खंड, उत्तराखंड पेयजल संस्थान, देहरादून** द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर तैयार किया है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध करायी गयी किसी त्रुटिपूर्ण अथवा अधूरी सूचना के लिए कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

**अधिशासी अभियन्ता, अनुरक्षण खंड, उत्तराखंड पेयजल संस्थान, देहरादून** के माह 04/2019 से 03/2020 तक के लेखा अभिलेखों पर निरीक्षण प्रतिवेदन जो श्री आर॰एन॰ यादव, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी, श्री पी॰के॰ श्रीवास्तव, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी एवं श्री हरिओम, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी (तदर्थ) द्वारा दिनांक 07/09/2020 से 18/09/2020 तक श्री जे॰एम॰एस॰ रावत, वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी के पूर्णकालिक पर्यवेक्षण में सम्पादित किया गया।

**भाग-I**

**1.परिचयात्मकः** इस इकाई की विगत लेखापरीक्षा श्री राजा रंजन राव/स॰ले॰प॰अ॰, श्री अरिंदम चटर्जी, स॰ले॰प॰अ॰ एवं श्री जोगिंदर सिंह, लेखापरीक्षक द्वारा दिनांक 18.07.2019 से 26.07.2019 तक श्री संजय वर्मा, ले॰प॰अ॰ के पूर्णकालिक पर्यवेक्षण में निष्पादित की गयी थी। जिसमें माह 04/2016 से 03/2019 तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी थी।

(i) **इकाई के क्रियाकलाप एवं भौगोलिक अधिकार क्षेत्रः** शाखा द्वारा जनपद देहरादून के अंतर्गत 06 विकासखंडों, 02 नगर निगम, 02 नगरपालिका, 01 नगर पंचायत की 116 ग्रामीण एवं 14 नगरीय अर्थात कुल 130 पेयजल योजनाओ का संचालन एवं रख-रखाव कार्य किया जा रहा है तथा पेयजल योजनाओ से लाभान्वित उपभोक्ताओ को सुचारु एवं शुद्ध पेयजल आपूर्ति की जा रही है।

(ii) (अ) विगत दो वर्षों मे बजट आबंटन एवं व्यय की स्थिति निम्नवत हैं- (रु लाख में)

| वर्ष | लेखा शीर्ष | प्रारम्भिक अवशेष | | स्थापना | | गैर स्थापना | | आधिक्य (+) | बचत (+) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | स्थापना | गैर स्थापना | आवंटन | व्यय | आवंटन | व्यय | | |
| 2018-19 | 2215,2515, 4215 | 45.67 | 24.03 | 2581.75 | 2590.15 | 2037.02 | 1405.99 | - | 692.33 |
| 2019-20 | 2215,2515, 4215 | 37.27 | 655.06 | 2557.49 | 2532.78 | 2218.58 | 2358.28 | - | 577.34 |

(ब) केंद्र पुरोनिधानित योजनाओं के अंतर्गत प्राप्त निधि एवं व्यय विवरण निम्नवत हैं-

(रु लाख में)

| वर्ष | योजना का नाम | प्रारम्भिक अवशेष | प्राप्त | व्यय | आधिक्य | बचत |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018-19 | **शून्य** | | | | | |
| 2019-20 | डा. श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूरबन मिशन कार्यक्रम | शून्य | 30.00 | 30.00 | -- | -- |

**2.** इकाई को बजट आवंटन राज्य सरकार **के माध्यम** से किया जाता है। गैर स्थापना व्यय को सम्मिलित न करते हुए इकाई **'ब'** श्रेणी की है। विभाग का संगठनात्मक ढांचा निम्नवत हैः

सचिव, पेयजल विभाग, उत्तराखण्ड

मुख्य महा-प्रबन्धक, जल संस्थान

महा-प्रबन्धक, जल संस्थान
अधिक्षण अभियंता, जल संस्थान
अधिशासी अभियंता, जल संस्थान

**3. लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं लेखापरीक्षा विधिः** लेखापरीक्षा में कार्यालय **अधिशासी अभियन्ता, अनुरक्षण खंड, उत्तराखंड पेयजल संस्थान, देहरादून** को आच्छादित किया गया। यह निरीक्षण प्रतिवेदन कार्यालय **अधिशासी अभियन्ता, अनुरक्षण खंड, उत्तराखंड पेयजल संस्थान, देहरादून** की लेखापरीक्षा में पाये गये निष्कर्षों पर आधारित है। लेखा परीक्षा द्वारा व्यय विवरण एवं प्राप्ति के आधार पर सर्वाधिक व्यय वाले माह **02/2020 को विस्तृत जांच एवं विश्लेषण हेतु** चयनित किया गया। इसी प्रकार सर्वाधिक व्यय वाले कार्य **"माननीय मुख्यमंत्री ए. 381/2018 के अंतर्गत डोईवाला ग्रामीण की (खैरी गाँव) पेयजल योजना"** को विस्तृत जांच हेतु चयन किया गया।

**4.** लेखापरीक्षा भारत के संविधान के अनुच्छेद 149 के अधीन बनाये गये नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्ते) अधिनियम, 1971 (डी पी सी एक्ट, 1971) की धारा 14, लेखा तथा लेखापरीक्षा विनियमन-2007 तथा लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार सम्पादित की गयी।

**भाग-II (ब)**

**प्रस्तर-1 : खंड के अंतर्गत विभिन्न विभागो के सापेक्ष जल परिव्यय की कुल धनराशि रु 129.60 लाख की वसूली लंबित रहना।**

अधिशासी अभियंता, अनुरक्षण खंड(ग्रामीण), जल संस्थान, देहरादून के अभिलेखो की लेखापरीक्षा (सितंबर 2020) में पाया गया कि उत्तराखंड शासन के शासनादेश स0 118/उनतीस (1)/2013-(59पे0)/2004 पेयजल अनुभाग-1 देहरादून दिनांक 29 जनवरी 2013 के अनुपालन मे उत्तराखंड जल संस्थान अपने क्षेत्रान्तर्गत अनुसूची 4 मे दर्शाई गयी दर से जल परिव्यय की धनराशि उत्तराखंड जल संस्थान के अंतर्गत विभिन्न इकाईओ के अंतर्गत विभिन्न विभागो (संलग्नक-1) से निम्न तालिका अनुसार उन विभागो के सम्मुख दिये गए वर्ष से वसूल की जानी लंबित थी जो वर्तमान तक भी वसूल नहीं की जा सकी थी जबकि उक्त धनराशि का उपयोग विभाग के वेतन भत्ते एवं अन्य मदों मे खर्च हेतु इस्तेमाल किया जाता है।

**तालिका -1**

| **क्रम स0** | **इकाई का नाम** | **बकाया धनराशि (रु मे )** | **लंबित अवधि (वित्तीय वर्ष से)** |
|---|---|---|---|
| 1 | देहरादून ग्रामीण | 392150.00 | 2013 से 2019 |
| 2 | रानी पोखरी | 299945.00 | 2013 से 2019 |
| 3 | मुनि की रेती | 625204.00 | 2013 से 2019 |
| 4 | श्यामपुर | 1012379.00 | 2012 से 2019 |
| 5 | नगरपालिका, ऋषिकेश | 2920547.00 | 2012 से 2019 |
| 6 | जलकल | 2199853.00 | 2014 से 2019 |
| 7. | सहसपुर | 942388.00 | 2012 से 2019 |
| 8 | हरबर्टपुर | 1608972.00 | 2012 से 2019 |
| 9 | विकासनगर | 2958562.00 | 2012 से 2019 |
| | **कुल योग** | **रु 12960000.00** | |

उक्त की ओर इंगित किए जाने पर खंड द्वारा उत्तर मे तथ्य को स्वीकार करते हुये बताया गया कि खंड द्वारा समय-2 पर संबन्धित विभाग को नोटिस/ पत्राचार के माध्यम से अवशेष जमा करने हेतु सूचित किया जाता है एवं भू-राजस्व के माध्यम से भी अवशेषो की वसूली हेतु कार्यवाही की जाती है।

खंड के उत्तर से स्वतः स्पष्ट है कि खंड के अंतर्गत उपरोक्त विभागो से विगत 08 वर्षो के सापेक्ष लंबित जल परिव्यय की कुल धनराशि रु 129.60 लाख की वसूली की जानी लंबित है जिस पर विलंब शुल्क का भी प्रविधान है, का प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान मे लाया जाता है।

**<u>भाग- 2 (ब)</u>**

**प्रस्तर: (2) - गलत वेतन निर्धारण के कारण 04 अधिकारियों को धनराशि ₹1.22 लाख का अधिक भुगतान।**

कार्यालय अधिशासी अभियंता, अनुरक्षण खंड (ग्रामीण), उत्तराखंड जल संस्थान, देहरादून के अभिलेखों (सेवापुस्तिकाओ एवं वेतन बिल पंजिका) की नमूना लेखापरीक्षा के दौरान पाया गया कि कार्यालय में कार्यरत 04 अधिकारियों को गलत वेतन निर्धारण कर वेतन एवं भत्तों का भुगतान किया जा रहा है। इन अधिकारियों का विस्तृत विवरण इस प्रकार है-

**1. <u>श्री अजय पाल सिंह/सहायक अभियन्ता</u> :-**

उत्तराखंड सरकारी सेवक वेतन नियम 2016 के नियम 10 (3) के अनुसार- ऐसा कर्मचारी जिसे 01 जनवरी और 30 जून के बीच (दोनों दिवसों सहित) की अवधि में नियुक्ति या प्रौन्नति या सुनिश्चित करियर प्रोन्नयन योजना या समयमान/चयन वेतनमान के अधीन उन्नयन सहित वित्तीय उन्नयन दिया गया हो, के संबंध में वेतन वृद्धि 01 जनवरी को दी जाएगी और ऐसे कर्मचारी जिसे 01 जुलाई और 31 दिसंबर के बीच (दोनों दिवसों सहित) की अवधि में नियुक्ति या प्रौन्नति या सुनिश्चित करियर प्रोन्नयन योजना या समयमान/चयन वेतनमान के अधीन उन्नयन सहित *<u>वित्तीय उन्नयन दिया गया हो, के संबंध में वेतन वृद्धि 01 जुलाई को दी जाएगी।</u>*

इनकी सेवापुस्तिका की नमूना जांच के दौरान पाया गया कि दिनांक 31.10.2017 को इनका ग्रेड वेतन 7600 (7$^{वे}$ वेतनमान में लेवल-12) से पुनरीक्षित होकर 8700 (लेवल-13) हुआ था। जिसके बाद कार्यालय द्वारा उक्त तिथि से लेवल-13 में इनका वेतन निर्धारण किया गया (7वे वेतनमान में)। परंतु इनको जो आगामी वार्षिक वेतन वृद्धि दी गई वह 01.01.2018 को दी गई जो कि उपरोक्त नियम के अनुसार 01.07.2018 को दी जानी चाहिए थी। क्योंकि यह एक वित्तीय उन्नयन था।

उपरोक्त की वजह से ही इनको वर्ष 2018 के बाद के वर्षों में भी वार्षिक वेतन वृद्धियाँ (01.01.2019 एवं 01.01.2020 को) समय से पहले दी गई, जो कि 01.07.2019 एवं 01.07.2020 को दी जानी चाहिए थीं।

उपरोक्त की वजह से इनको अधिक भुगतान किये गए वेतन एवं भत्तो की गणना लेखापरीक्षा द्वारा, कार्यालय द्वारा प्रस्तुत किए गए अभिलेखो के आधार पर की गई। जिसके आधार पर पाया गया कि **इनको कुल धनराशि ₹76668/- का अधिक भुगतान किया गया।**(*संलग्नक-1)*

**2. <u>श्रीमति राजरानी सारस्वत/वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी</u>**

इनकी सेवापुस्तिका की नमूना जांच में पाया गया कि इनकी दिनांक 26.06.2020 को वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी के पद पर (लेवल-07 से लेवल-08 में) पदोन्नति हुई थी। जिसके बाद इन्होंने नियम 22 बी के तहत अपनी आगामी वार्षिक वेतन वृद्धि की तिथि 01.07.2020 से वेतन निर्धारण किए जाने का विकल्प चुना था।

इसके बाद कार्यालय द्वारा उक्त तिथि 01.07.2020 से इनका वेतन निर्धारण किया गया और उसी के अनुसार वेतन एवं भत्तो का भुगतान किया गया। परंतु उक्त वेतन निर्धारण लेखापरीक्षा जांच में गलत पाया गया। दिनांक 01.07.2020 को कार्यालय द्वारा इनका मूलवेतन 56900 निर्धारित किया गया जबकि लेखापरीक्षा के अनुसार यह 55200 होना चाहिए था।

उपरोक्त की वजह से इन्हे माह जुलाई-2020 एवं अगस्त-2020 में **कुल धनराशि ₹3978/- का अधिक भुगतान किया गया**। *(संलग्नक-2)।*

**3. <u>श्री बिजेन्द्र सिंह नेगी/जूनियर फिटर</u>**

इनकी सेवापुस्तिका की नमूना जांच में पाया गया कि दिनांक 01.07.2018 से इनको अधिक मूलवेतन पर वेतन एवं भत्तो का भुगतान किया जा रहा है। दिनांक 01.07.2017 को इनका मूलवेतन 31400 था (लेवल-04 में)। इसके बाद इनकी आगामी वार्षिक वेतन वृद्धि की तिथि 01.07.2018 को इनका मूलवेतन 32300 होना चाहिए था, परंतु कार्यालय द्वारा उक्त तिथि (01.07.2018) को इनका मूलवेतन 33300 निर्धारित किया गया। उक्त के क्रम में ही कार्यालय द्वारा इनकी और आगामी वार्षिक वेतन वृद्धि की तिथियों 01.07.2019 एवं 01.07.2020 को इनका मूलवेतन क्रमश: 34300 एवं 35300 निर्धारित किया गया, जो कि उक्त तिथियों को नियमानुसार क्रमश: 33300 एवं 34300 होना चाहिए था।

उपरोक्त की वजह से इनको जुलाई 2018 से अगस्त 2020 तक **कुल धनराशि ₹29640/- का अधिक भुगतान किया गया**। *(संलग्नक-3)*।

**4. <u>श्री अरुण बिक्रम सिंह रावत/सहायक अभियंता</u>**

इनकी सेवापुस्तिका की नमूना जांच में पाया गया कि दिनांक 31.12.2015 को 6वे वेतनमान में यह वेतनमान 15600-39100 ग्रेड वेतन 5400 में कार्यरत थे। जिसके अनुसार दिनांक 01.01.2016 से लागू 7वे वेतनमान में इनका मूलवेतन लेवल-10 में निर्धारित किया जाना था, परंतु कार्यालय द्वारा इनका मूलवेतन लेवल-09 में निर्धारित किया गया। जो कि नियमानुसार गलत है। दिनांक 01.01.2016 को लेवल 09 में कार्यालय द्वारा इनका मूलवेतन 58000 निर्धारित किया गया जबकि नियमानुसार लेवल-10 में इनका मूलवेतन 57800 होना चाहिए था। उपरोक्त की वजय से इनकी आगामी वार्षिक वेतन वृद्धि की तिथियों को भी गलत लेवल में वेतन निर्धारण किया गया। लेवल-09 में कार्यालय द्वारा इन तिथियों 01.07.2016, 01.07.2017, 01.07.2018, 01.07.2019 एवं 01.07.2020 को इनका मूलवेतन क्रमश: 59700, 61500, 63300 एवं 65200 निर्धारित किया गया, जबकि नियमानुसार लेवल-10 में इन तिथियों को इनका मूलवेतन क्रमश: 59500, 61300, 63100 एवं 65000 होना चाहिए था।

उपरोक्त की वजह से इन्हे जनवरी 2016 से अगस्त 2020 तक **कुल धनराशि ₹12144/- का भुगतान किया गया**। (संलग्नक-04)।

उक्त सभी अधिकारियों के प्रकरण पर लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर कार्यालय द्वारा अपने उत्तर मे बताया कि जांच उपरान्त नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही कर ली जाएगी। खंड के उत्तर से स्वमं लेखापरीक्षा आपप्ति की पुष्टि होती है। अत: गलत वेतन निर्धारण के कारण उक्त चारों अधिकारियों को अधिक भुगतान किये गए वेतन एवं भत्तो की **कुल धनराशि ₹1.22 लाख** का प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञयान में लाया जाता है।

**भाग-2 (ब)**

**प्रस्तर - 3 : वित्तीय अधिकारो के विपरीत अनुबंध का गठन किया जाना ।**

उत्तराखंड शासन द्वारा मुख्यमंत्री घोषणा स0 381/2018 के अंतर्गत जनपद देहरादून के डोईवाला देहात (ग्राम खैरी) मे पेयजल योजना के सुदृढीकरण हेतु रु 385.51 लाख की वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गयी। कार्य के निष्पादन हेतु मुख्य रूप से 02 अनुबंध 06/EE/18.06.2019 एवं 14/EE/2019-20 (दिनांक 04.10.2019) क्रमश रु 27.70 लाख एवं रु 221.27 लाख हेतु गठित की गई जिसके अनुसार कार्य समाप्ति की तिथि क्रमश 03.08.2019 एवं 03.07.2020 थी।

अधिशासी अभियंता, अनुरक्षण खंड (ग्रामीण), जल संस्थान, देहारादून के अभिलेखो की लेखापरीक्षा (सितंबर 2020) मे पाया गया कि खंड द्वारा उत्तराखंड पेयजल निगम मे उत्तराखंड वित्तीय अधिकारो का प्रतिनिधायन -2011 के विपरीत अधिशासी अभियंता स्तर पर रु 75.00 लाख की धनराशि के ऊपर रु 221.27 लाख का अनुबंध गठित किया गया।

उक्त की ओर इंगित किए जाने पर खंड द्वारा उत्तर मे बताया गया कि मुख्यालय आदेश स0 3055 दिनांकित 15.10.2003 मे वर्णित प्रविधानों के अंतर्गत मु0 महाप्रबंधक, उ0 ज0 स0, देहरादून की स्वीकृति प्राप्त होने के उपरांत ही शाखा स्तर पर अनुबंध गठित किया गया ।

खंड का उत्तर स्वीकार्य योग्य नहीं है क्योंकि वित्तीय अधिकारो का प्रतिनिधायन -2003 के अनुसार खंड द्वारा अधिशासी अभियंता स्तर पर मात्र रु 3.50 लाख के अनुबंध जबकि वित्तीय अधिकारो का प्रतिनिधायन -2011के अनुसार मात्र 75.00 लाख की धनराशि के ही अनुबंध गठित किए जा सकते थे।

अतः वित्तीय अधिकारो के विपरीत अनुबंध का गठन किए जाने का प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान मे लाया जाता है।

## भाग–दो 'ब'

**प्रस्तर–4 UP Water Supply and Sewerage Act 1975 तथा 14th Finance Commission की Report के दिशानिर्देशों का अवहेलना कर 66295 घरेलू–अघरेलू संयोजन में मीटर विहीन जलापूर्ति किया जाना।**

14वें वित आयोग रिपोर्ट भाग– 15 के प्रस्तर संख्या 15.50 के अनुसार मार्च 2017 तक राज्य के ग्रामीण एवं नगरीय क्षेत्र में शत प्रतिशत मीटर संयोजन पूर्ण किया जाना था तथा नया संयोजन मीटर के साथ किया जाना था। इसी प्रकार U.P. Water Supply and Sewerage Act 1975 के Chapter VII के बिन्दु संख्या 69 के अनुसार- "The Jal Sansthan may provide a water meter and attach the same to the service pipe in premises connected with water works of the Jal Sansthan" का प्रावधान था। उपरोक्त के विपरीत संस्थान द्वारा शत प्रतिशत मीटर के संयोजन ना कर घरेलू तथा अघरेलू संयोजन में विगत कई वर्षो से जलापूर्ति की जा रही है जो प्रावधानों के अनुसार नहीं था।

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, अनुरक्षण खण्ड, उत्तराखण्ड जल संस्थान, देहरादून की लेखापरीक्षा (माह 09/2020) में पाया गया कि खण्ड के अन्तर्गत कुल 66295 मीटर विहीन संयोजन (जुलाई 2020 तक) किये गये थे जिनका विवरण निम्नानुसार था :–

| संयोजन का प्रकार | कुल संख्या | मीटर सहित | मीटर विहीन |
|---|---|---|---|
| घरेलू (domestic) | 65523 | NIL | 65523 |
| अ–घरेलू (commercial etc.) | 2441 | 1669 | 772 |
| कुल संयोजन | 67964 | 1669 | 66295 |

उक्त के सम्बन्ध में लेखापरीक्षा में पूछे जाने पर इकाई द्वारा बताया गया कि नगर क्षेत्र के उपभोक्ताओं को वार्षिक मूल्यांकन के आधार पर तथा ग्रामीण क्षेत्र के उपभोक्ताओं को टोटियों के आधार पर देयक प्रेषित किये जाते है। अघरेलू जल संयोजनों पर मीटर लगाये जाते है खण्ड का उत्तर मान्य नही था क्योकि आवेदन करने वालो को ही जल संयोजन दिया जा रहा था अर्थात् अधिक से अधिक घरों/प्रतिष्ठानों का जल संयोजन हेतु संस्थान द्वारा कोई प्रयास नही किया जा रहा था। जल संस्थान एक स्वायत्त संस्था है कार्यालय के व्यय भार प्राप्त राजस्व पर निर्भर है। देहरादून जिले में राजधानी बनने के बाद ग्रामीण एवं शहरी सभी क्षेत्रों में तेजी से जनसंख्या बढ़ी है एवं आवासीय तथा व्यापारिक गतिविधियों में काफी तेजी आयी है यदि संस्थान द्वारा 14 वें वित आयोग एवं UP Water Supply and Sewerage Act 1975 के प्रावधानों का कड़ाई से पालन किया जाता एवं शत प्रतिशत मीटर संयोजन का प्रयास किया जाता तो संस्थान के राजस्व में बढ़ोत्तरी से इनकार नही किया जा सकता था।

प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

## भाग – दो 'ब'

**प्रस्तर – 5 कार्य निष्पादन हेतु भुगतान बाउचरों से लेबर सेस धनराशि रू0 8.18 लाख की कटौती नही किया जाना तथा इससे ठेकेदारों को अदेय लाभ दिया जाना।**

उत्तराखण्ड शासन श्रम एवं सेवायोजन अनुभाग के शासनादेश के प्रावधानों के अनुसार राज्य सरकार के अधीन विभिन्न विभागों के अंतर्गत कराये जाने वाले कार्यो की कुल लागत पर 1 प्रतिशत दर से लेबर सेस की कटौती किया जाना अनिवार्य है।

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता अनुरक्षण खण्ड, उत्तराखण्ड जलसंस्थान, देहरादून के अभिलेखों की नमूना जांच (09/2020) में पाया गया कि शासनादेश के प्रावधानों के अनुसार राज्य सरकार के अधीन विभिन्न विभागों के अंतर्गत कराये जाने वाले कार्यो की कुल लागत पर 1 प्रतिशत दर से लेबर सेस की कटौती किया जाना अनिवार्य था परन्तु खण्ड के अन्तर्गत भुगतान किये जाने वाले बाउचरों से लेबर सेस की कटौती नही की जा रही थी जिसके कारण चयनित माह (02/2020, 03/2020 एवं10/2019) के भुगतान बाउचरों से कुल धनराशि रू0 818197.00 **(Rs. 265903.01 + Rs. 366236.67 + Rs. 186057.23 = Rs. 818196.91)** के लेबर सेस की कटौती नही की गयी थी (अनुलग्नक –'क' के अनुसार)।

उक्त के संदर्भ में इंगित किये जाने पर इकाई द्वारा अवगत कराया गया कि प्राक्कलन गठन के समय लेबर सेस के सम्बन्ध में आवश्यक दिशा निर्देश प्राप्त न होने के कारण प्राक्कलन में प्राविधान नही किया गया, मुख्यालय उत्तराखण्ड जल संस्थान, देहरादून से आवश्यक दिशा निर्देश प्राप्त होने पर नियमानुसार कार्यवाही प्रारम्भ की जायेगी। खण्ड के उत्तर से स्वयं लेखापरीक्षा आपत्ति की पुष्टि होती है कि खण्ड के अन्तर्गत भुगतान किये जाने वाले बाउचरों से लेबर सेस की कटौती नही की जा रही थी जबकि उपकर अधिनियम के अन्तर्गत सन्निर्माण प्रतिष्ठानों से निर्माण लागत का 1 प्रतिशत उपकर (cess) बोर्ड निधि में जमा किया जाना अनिवार्य था।

अतः भुगतान बाउचरों से लेबर सेस धनराशि रू0 8.18 लाख की कटौती नही किये जाने एवं इससे ठेकेदारों को अदेय लाभ पहुचाने का प्रकरण संज्ञान में लाया जाता है।

## अनुलग्नक – 'क'

**(माह फरवरी 2020 हेतु ठेकेदारो को किये गये भुगतान एवं उस पर @ 1% की दर से देय लेबर सेस की गणना)**

| क्रम सं0 | जर्नल बाउचर सं0 | ठेकेदार को भुगतान की गयी धनराशि (contractor Payble A/c) |
|---|---|---|
| 1. | 665 | 97035.00 |
| 2. | 666 | 27631.00 |
| 3. | 667 | 3446660.00 |
| 4. | 668 | 91711.00 |
| 5. | 669 | 74866.00 |
| 6. | 670 | 135438.00 |
| 7. | 671 | 296486.00 |
| 8. | 672 | 196469.00 |
| 9. | 673 | 52693.00 |
| 10. | 674 | 158763.00 |
| 11. | 675 | 661794.00 |
| 12. | 676 | 289089.00 |
| 13. | 677 | 221176.00 |
| 14. | 678 | 322300.00 |
| 15. | 679 | 138978.00 |
| 16. | 680 | 100762.00 |
| 17. | 682 | 175847.00 |
| 18. | 683 | 45661.00 |
| 19. | 684 | 219592.00 |
| 20. | 687 | 199189.00 |
| 21. | 688 | 516176.00 |
| 22. | 689 | 197408.00 |
| 23. | 690 | 387441.00 |

| | | |
|---|---|---|
| 24. | 691 | 383366.00 |
| 25. | 692 | 188159.00 |
| 26. | 693 | 392172.00 |
| 27. | 694 | 368936.00 |
| 28. | 695 | 529798.00 |
| 29. | 696 | 2729042.00 |
| 30. | 697 | 570000.00 |
| 31. | 699 | 29820.00 |
| 32. | 700 | 51428.00 |
| 33. | 704 | 68325.00 |
| 34. | 705 | 239596.00 |
| 35. | 706 | 247396.00 |
| 36. | 707 | 34080.00 |
| 37. | 708 | 294441.00 |
| 38. | 709 | 220630.00 |
| 39. | 710 | 384208.00 |
| 40. | 711 | 216135.00 |
| 41. | 712 | 215196.00 |
| 42. | 713 | 650105.00 |
| 43. | 717 | 418112.00 |
| 44. | 718 | 235034.00 |
| 45. | 719 | 201764.00 |
| 46. | 720 | 93178.00 |
| 47. | 721 | 302389.00 |
| 48. | 722 | 788810.00 |
| 49. | 723 | 71514.00 |
| 50. | 735 | 556481.00 |
| 51. | 736 | 1093950.00 |

| | | |
|---|---|---|
| 52. | 738 | 298554.00 |
| 53. | 740 | 52000.00 |
| 54. | 741 | 220000.00 |
| 55. | 742 | 204900.00 |
| 56. | 743 | 76841.00 |
| 57. | 744 | 788984.00 |
| 58. | 745 | 230665.00 |
| 59. | 746 | 33679.00 |
| 60. | 747 | 304761.00 |
| 61. | 748 | 87492.00 |
| 62. | 749 | 875389.00 |
| 63. | 750 | 40580.00 |
| 64. | 751 | 170115.00 |
| 65. | 752 | 309241.00 |
| 66. | 753 | 180658.00 |
| 67. | 754 | 985000.00 |
| 68. | 755 | 2104212.00 |
| | **Total** | **26590301.00** |

माह 02／2020 हेतु @ 1% की दर से देय लेबर सेस की धनराशि =Rs.**26590301.00 × 1%**

=Rs. **265903.01**

(माह मार्च 2020 हेतु ठेकेदारो को किये गये भुगतान एवं उस पर @ 1% की दर से देय लेबर सेस की गणना)

| क्रम सं0 | जर्नल बाउचर सं0 | ठेकेदार को भुगतान की गयी धनराशि (contractor Payble A/c) |
|---|---|---|
| 1. | 757 | 52382.00 |
| 2. | 758 | 148243.00 |
| 3. | 759 | 688280.00 |
| 4. | 763 | 23754.00 |
| 5. | 764 | 159152.00 |
| 6. | 765 | 79872.00 |
| 7. | 769 | 357983.00 |
| 8. | 772 | 47965.00 |
| 9. | 773 | 33359.00 |
| 10. | 774 | 17575.00 |
| 11. | 775 | 221176.00 |
| 12. | 776 | 748750.00 |
| 13. | 777 | 35454.00 |
| 14. | 778 | 92781.00 |
| 15. | 781 | 121254.00 |
| 16. | 782 | 625785.00 |
| 17. | 783 | 422000.00 |
| 18. | 784 | 503777.00 |
| 19. | 786 | 356543.00 |
| 20. | 788 | 188417.00 |
| 21. | 789 | 570052.00 |

| | | |
|---|---|---|
| 22. | 803 | 241769.00 |
| 23. | 804 | 449238.00 |
| 24. | 805 | 447038.00 |
| 25. | 806 | 193242.00 |
| 26. | 807 | 184241.00 |
| 27. | 808 | 122992.00 |
| 28. | 809 | 124625.00 |
| 29. | 812 | 193754.00 |
| 30. | 813 | 70088.00 |
| 31. | 814 | 206801.00 |
| 32. | 817 | 281828.00 |
| 33. | 818 | 898384.00 |
| 34. | 819 | 196468.00 |
| 35. | 820 | 123435.00 |
| 36. | 821 | 571676.00 |
| 37. | 822 | 545721.00 |
| 38. | 823 | 176768.00 |
| 39. | 824 | 376998.00 |
| 40. | 825 | 441196.00 |
| 41. | 826 | 179439.00 |
| 42. | 827 | 177444.00 |
| 43. | 828 | 2890250.00 |
| 44. | 829 | 196584.00 |
| 45. | 830 | 147032.00 |
| 46. | 831 | 376942.00 |
| 47. | 832 | 2710900.00 |
| 48. | 833 | 314875.00 |

| | | |
|---|---|---|
| 49. | 834 | 357983.00 |
| 50. | 835 | 102541.00 |
| 51. | 836 | 464217.00 |
| 52. | 837 | 8219111.00 |
| 53. | 838 | 140176.00 |
| 54. | 840 | 202946.00 |
| 55. | 841 | 189706.00 |
| 56. | 842 | 192177.00 |
| 57. | 843 | 393220.00 |
| 58. | 844 | 283333.00 |
| 59.. | 845 | 103086.00 |
| 60. | 846 | 296486.00 |
| 61. | 847 | 231553.00 |
| 62. | 848 | 62435.00 |
| 63. | 849 | 485250.00 |
| 64. | 854 | 385853.00 |
| 65. | 855 | 542378.00 |
| 66. | 857 | 97339.00 |
| 67. | 858 | 261333.00 |
| 68. | 861 | 303876.00 |
| 69. | 865 | 279719.00 |
| 70. | 868 | 171307.00 |
| 71. | 869 | 144068.00 |
| 72. | 872 | 345262.00 |
| 73. | 873 | 193900.00 |
| 74. | 874 | 109329.00 |
| 75. | 875 | 244095.00 |

| | | |
|---|---|---|
| 76. | 876 | 491816.00 |
| 77. | 877 | 303876.00 |
| 78. | 878 | 96869.00 |
| 79. | 881 | 306427.00 |
| 80. | 882 | 394231.00 |
| 81. | 883 | 136508.00 |
| 82. | 884 | 88479.00 |
| 83. | 886 | 160324.00 |
| 84. | 887 | 43305.00 |
| 85. | 888 | 60609.00 |
| 86. | 889 | 156218.00 |
| 87. | 891 | 116970.00 |
| 88. | 892 | 280106.00 |
| 89. | 893 | 340389.00 |
| 90. | 894 | 510579.00 |
| | **Total** | **36623667.00** |

माह 03/2020 हेतु @ 1% की दर से देय लेबर सेस की धनराशि =Rs.**36623667.00 × 1%**

=Rs. **366236.67**

## (माह 10/ 2019 हेतु ठेकेदारो को किये गये भुगतान एवं उस पर @ 1% की दर से देय लेबर सेस की गणना)

| क्रम सं0 | जर्नल बाउचर सं0 | ठेकेदार को भुगतान की गयी धनराशि (contractor Payble A/c) |
|---|---|---|
| 1. | 398 | 34403.00 |
| 2. | 400 | 252688.00 |
| 3. | 402 | 165586.00 |
| 4. | 403 | 38763.00 |
| 5. | 404 | 94476.00 |
| 6. | 405 | 49157.00 |
| 7. | 406 | 42329.00 |
| 8. | 407 | 45014.00 |
| 9. | 408 | 120863.00 |
| 10. | 409 | 53471.00 |
| 11. | 410 | 35488.00 |
| 12. | 411 | 89575.00 |
| 13. | 412 | 38401.00 |
| 14. | 413 | 67977.00 |
| 15. | 414 | 50442.00 |
| 16. | 415 | 43146.00 |
| 17. | 416 | 42776.00 |
| 18. | 419 | 62319.00 |
| 19. | 420 | 648400.00 |
| 20. | 422 | 196135.00 |
| 21. | 423 | 117845.00 |
| 22. | 426 | 98508.00 |
| 23. | 428 | 63164.00 |
| 24. | 430 | 275000.00 |

| | | |
|---|---|---|
| 25. | 435 | 23600.00 |
| 26. | 436 | 70441.00 |
| 27. | 442 | 1268318.00 |
| 28. | 445 | 120344.00 |
| 29. | 451 | 650396.00 |
| 30. | 452 | 646179.00 |
| 31. | 453 | 842261.00 |
| 32. | 454 | 637650.00 |
| 33. | 455 | 538604.00 |
| 34. | 461 | 183913.00 |
| 35. | 462 | 93021.00 |
| 36. | 463 | 274230.00 |
| 37. | 464 | 157465.00 |
| 38. | 465 | 70499.00 |
| 39. | 468 | 173867.00 |
| 40. | 469 | 360107.00 |
| 41. | 470 | 179439.00 |
| 42. | 471 | 385421.00 |
| 43. | 472 | 533367.00 |
| 44. | 473 | 399651.00 |
| 45. | 474 | 872930.00 |
| 46. | 475 | 478854.00 |
| 47. | 476 | 424662.00 |
| 48. | 477 | 173808.00 |
| 49. | 478 | 881755.00 |
| 50. | 479 | 270737.00 |
| 51. | 480 | 368201.00 |
| 52. | 481 | 329046.00 |
| 53. | 483 | 123288.00 |
| 54. | 484 | 210618.00 |

| | | |
|---|---|---|
| 55. | 485 | 109436.00 |
| 56. | 486 | 119162.00 |
| 57. | 487 | 275035.00 |
| 58. | 491 | 920311.00 |
| 59. | 492 | 1026081.00 |
| 60. | 493 | 244477.00 |
| 61. | 494 | 613780.00 |
| 62. | 495 | 576839.00 |
| 63. | 498 | 70328.00 |
| 64. | 499 | 97793.00 |
| 65. | 501 | 83883.00 |
| | **Total** | **18605723.00** |
| | | |

माह 10/2019 हेतु @ 1% की दर से देय लेबर सेस की धनराशि =Rs.**18605723.00 × 1%**

=Rs. **186057.23**

## भाग– ।।।

### विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का विवरण

| क्रम संख्या | निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या | प्रस्तर | |
|---|---|---|---|
| | | भाग –II (अ) | भाग –II (ब) |
| 1. | 02/2011-12 | - | 01,02,03 |
| 2. | 71/2014-15 | - | 01 |
| 3. | 61/2016-17 | - | 01,02,03 |
| 4. | 45/2019-20 | - | 01,02 |

### विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों की अनुपालन आख्या

| निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या | प्रस्तर संख्या | | अनुपालन आख्या | लेखापरीक्षा दल की टिप्पणी | अभ्युक्ति |
|---|---|---|---|---|---|
| | भाग -II(अ) | भाग –II (ब) | | | |
| 02/2011-12 | - | 01,02,03 | अनुपालन आख्या महालेखाकार कार्यालय को प्रेषित की गई है। | शून्य | शून्य |
| 71/2014-15 | - | 01 | | | |
| 61/2016-17 | - | 01,02,03 | | | |
| 45/2019-20 | - | 01,02 | | | |

## भाग– IV

### इकाई के सर्वोत्तमकार्य

——— शून्य ———

**भाग-V**

**आभार**

1. कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून लेखापरीक्षा अवधि में अवस्थापना संबंधी सहयोग सहित मांगे गये अभिलेख एवं सूचनांए उपलब्ध कराने हेतु **अधिशासी अभियंता, अनुरक्षण खंड (ग्रामीण), जल संस्थान, देहरादून** तथा उनके अधिकारियों एवं कर्मचारियों का आभार व्यक्त करता है। तथापि **लेखापरीक्षा में निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गयेः** शून्य

2. **सतत् अनियमितताएः** शून्य
3. **लेखापरीक्षा अवधि में निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा कार्यालयध्यक्ष का कार्यभार वहन किया गया।**

| नाम | पदनाम | अवधि |
|---|---|---|
| श्री नमित रमोला | अधिशासी अभियंता | 01.03.2019 से वर्तमान तक |

**4.लेखापरीक्षा अवधि में निम्नलिखित खंडीय लेखाधिकारी खंड से सम्बद्ध रहे-**

लागू नहीं

लघु एवं प्रक्रियात्मक अनियमितताएं जिनका समाधान लेखापरीक्षा स्थल पर नहीं हो सका उन्हें नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मिलित कर एक प्रति **अधिशासी अभियंता, अनुरक्षण खंड (ग्रामीण), जल संस्थान, देहरादून** को इस आशय से प्रेषित कर दी जायेगी कि अनुपालन आख्या पत्र प्राप्ति के एक माह के अन्दर सीधे उप महालेखाकार/ AMG-II (Non-PSU) को प्रेषित कर दी जाये।

**व0 लेखापरीक्षा अधिकारी**

**AMG-II (Non-PSU)**